प्रधान आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, दिल्ली दक्षिण

दूसरी एवं तीसरी मंजिल, ई आई एल एनेक्सी बिल्डिंग, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066

फा.सं. जीएसटी/दक्षिण/हायरिंग व्हीकल/01/2017/ 13515 / 31/1/18 दिनांक : 01.2018

अनुसूची एवं विनिर्देश

1/- कार्य का नाम: प्रधान आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, दिल्ली दक्षिण दूसरी एवं तीसरी मंजिल, ई आई एल एनेक्सी बिल्डिंग, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में 17+1(अठारह) जैसे की एसयूवी आकार- 01 2500 किमी तक, मध्यम आकार- 06 2000 किमी तक एवं छोटे आकार- 11 2000 किमी तक के वाहनों को ठेके पर लेना।

क्रम संख्या	विवरण	संभावित समय अनुसूची
01.	बिड प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	31.01.2018 (बुधवार)
02.	बिड प्रस्तुत करने की समाप्ति तिथि	22.02.2018 (17.00 बजे)
03.	तकनीकी बिड खुलने का दिनांक एवं समय	26.02.2018 (11.30 बजे)
04.	योग्य बिड करने वालों की वित्तीय बोली खुलने की तिथि	27.02.2018 (15.00 बजे)
05.	बिड खोलने का स्थान	प्रधान आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, दिल्ली दक्षिण तीसरी मंजिल, ई आई एल एनेक्सी बिल्डिंग, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066

शिखर
29/01/18

(शिखर पन्त)

सहायक आयुक्त (मुख्यालय)

केन्द्रीय कर, दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय

प्रधान आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, दिल्ली दक्षिण

दूसरी एवं तीसरी मंजिल, ई आई एल एनेक्सी बिल्डिंग, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066

प्रस्ताव का अनुरोध

फा.सं. जीएसटी/दक्षिण/ हायरिंग व्हीकल/01/2017 दिनांक : 01.2018

विषय : 17+1(अठारह) जैसे की एसयूवी आकार- 01 2500 किमी तक, मध्यम आकार- 06 2000 किमी तक एवं छोटे आकार- 11 2000 किमी तक की वाहनों को ठेके पर लेना हेतु बिड / कोटेशन की सूचना

केन्द्रीय माल एवं सेवाकर आयुक्तालय, दिल्ली दक्षिण, दूसरी एवं तीसरी मंजिल, ई आई एल एनेक्सी बिल्डिंग, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में 17+1(अठारह) जैसे की एसयूवी आकार- 01 2500 किमी तक, मध्यम आकार- 06 2000 किमी तक एवं छोटे आकार- 11 2000 किमी तक की वाहनों (जो 2015 मॉडल से पुरानी न हो) एवं एसयूवी की श्रेणी के लिए प्रति माह 30 -31 दिनों के लिए, 2500किमी टक के लिए ड्राईवर और दूसरों में प्रति माह 25 -26 दिनों के लिए 2000 किमी तक के लिए उत्तम स्थिति में भाड़े पर वाहनों की आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रित करती है ।
(तकनीकी बिड - परिशिष्ट क , और वित्तीय' बिड - परिशिष्ट ख अलग - अलग)

क्रम संख्या	श्रेणी	दिनों की संख्या	अवधि
01.	17+1(अठारह) गाड़ियाँ 1/- एसयूवी' आकार- 01 - 2500 किमी तक 30- 31 दिनों के लिए 2/- मध्यम आकार- 06 – 2000 किमी तक 25-26 दिनों के लिए 3/- छोटे आकार- 11 – 2000 किमी तक 25-26 दिनों के लिए	एसयूवी हेतु 30-31 दिन दूसरी वाहनों के लिए 25-26 दिन	01.03.2018 – 28.02.2019

टेंडर कागज़ात ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट 'जीईएम' अर्थात गवर्नमेंट इ मार्केटप्लेस से डाउनलोड किये जा सकते हैं। केन्द्रीय लोक प्रोक्योरमेंट पोर्टल जीईएम् द्वारा बिड / कोटेशन का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण अनिवार्य है । किसी भी परिस्थिति में हस्तचालित बिड / कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

3/- बिडर से यह अनुरोध किया जाता है की वे जी ई एम् वेबसाइट को नियमिट रूप से देखते रहें । टेंडर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / संशोधन शुद्धि पत्र के माध्यम से इस वेबसाइट द्वारा ही सूचित किया जाएगा ।

4/- प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि 22.02.2018 को शाम 05.00 बजे है । बिड / कोटेशन दिनांक 26.02.2018 को 11.30 बजे खोला जाएगा । यदि बिड खोलने की तिथि को कोई सरकारी छुट्टी का एलान किया जाता है, तो बिड / कोटेशन अगले कार्य दिवस पर उसी समय पर खोला जाएगा ।

5/- यदि एक ही बिड प्राप्त हुआ हो तो, 7 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा एवं उसके बाद प्राप्त बिड का मूल्यांकन किया जाएगा ।

6/- आयुक्त, केन्द्रीय कर, दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय के पास यह अधिकार होगा की वे बिना कारण बताये किसी भी या सभी बिड को स्वीकार या रद्द कर सकते हैं । इस मामले में आयुक्त का निर्णय सभी के लिए अंतिम एवं स्वीकार्य होगा ।

7/- टेंडर प्रक्रिया के किसी भी चरण पर यदि यह पाया जाता है कि बिडर द्वारा प्रस्तुत कोई भी विवरण / कागज़ात झूठे / भ्रामक / नकली हैं तो उनके बिड इस मामले में यथोचित दंड के साथ रद्द / अयोग्य ठहराए जाने के योग्य पाए जायेंगे । यदि ऐसा रद्दीकरण / अयोग्यता बिड खुलने के बाद पायी जाती है तो प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर, दिल्ली दक्षिण के पास यह अधिकार होगा की वे अगले बिडर पर विचार करें एवं इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करने सहित अन्य कोई भी यथोचित कदम उठायें ।

8/- बिड / कोटेशन की प्रस्तुतिकरण की देय तिथि के पूर्व कभी भी, सहायक / उप आयुक्त (मुख्यालय) किसी भी कारण से, चाहे वो स्वयं की पहल पर हो या कंपनी द्वारा मांगी गयी स्पष्टीकरण की प्रतिक्रिया में आंशिक संशोधनों द्वारा टेंडर आमंत्रित करने हेतु सूचना (एनआईटी) को संशोधित कर सकते हैं, जिसे वेबसाइट पर उपलोड कर दिया जाएगा ।

9/- बिड / कोटेशन दिनांक 26.02.2018 को 11.30 बजे उन बिडर की उपस्थिति में खोला जाएगा, जो बिड खुलने के समय वहां उपस्थित होंगे । सूचना में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार तकनीकी बिड/ कोटेशन पहले खोला जाएगा एवं वित्तीय बिड / कोटेशन बाद में खोला जाएगा ।

10/- ऐसे बिड / कोटेशन जिनकी वापसी की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हो गयी है, उन्हें नहीं खोला जाएगा।

सिर्फ वही बिड / कोटेशन जो नियत तिथि और समय तक या उसके पहले इस कार्यालय को प्राप्त हो गए हों , और जिनमें सारी सूचना शामिल हो, उनपर ही विचार किया जाएगा ।

11/- एजेंसी को इस प्रयोजन हेतु प्रासंगिक सभी वैधिक प्रावधानों का अनुपालन करना होगा ।

29/01/18

सहायक आयुक्त (मुख्यालय)

केन्द्रीय कर, दिल्ली दक्षिण

संलग्नक

(i) नियम एवं शर्तें

(ii) तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड का प्रारूप

(iii) तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत की जाने वाले कागजातों की सूची

(iv) घोषणा का प्रारूप

प्रतिलिपि सूचना हेतु

1. अपर आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय कर, दिल्ली दक्षिण, दिल्ली
2. अधीक्षक, सतर्कता, केन्द्रीय कर, दिल्ली दक्षिण, दिल्ली
3. अधीक्षक, प्रणाली, केन्द्रीय कर, दिल्ली दक्षिण, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ की वे कृपया इसे सीबीईसी की वेबसाइट पर अपलोड करें .(www.cbec.gov.in)
4. आम जनता हेतु नोटिस बोर्ड पर .

29/01/18

सहायक आयुक्त (मुख्यालय)

केन्द्रीय कर, दिल्ली दक्षिण

निविदा की नियम एवं शर्तें

1. निविदा के कागज़ात इ प्रोक्योरमेंट वेबसाइट गवर्नमेंट इ मार्केटप्लेस (जीईएम) से प्राप्त किये जा सकते हैं . केन्द्रीय प्रोक्योरमेंट पोर्टल जीईएम के द्वारा बिड / कोटेशन का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण अनिवार्य है . हस्तचालित/ ऑफलाइन बिड / कोटेशन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा . बिडर से अनुरोध है की वे जीईएम की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें . निविदा में कोई भी परिवर्तन / संशोधन एक शुद्धि पत्र के द्वारा इसी वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा
2. सेवा प्रदाता स्वामी / साझेदारी फर्म / पंजीकृत कंपनी होना चाहिए और वाहन का पंजीकरण दिल्ली - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ही होना चाहिए .
3. करार उस सेवा प्रदाता के साथ किया जाएगा जो न्यूनतम कोटेशन प्रस्तुत करता है एवं इस निविदा सूचना की सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकार करता है .
4. वाहन उत्तम स्थिति में होना चाहिए और तीन साल से पुराना नहीं होना चाहिए . वाहन का पूरा बीमा होना चाहिए एवं परिवन प्राधिकरण से सारे ज़रूरी एवं वैध कागजात उपलब्ध होने चाहिए .
5. वाहन अनन्य रूप से सिर्फ इस कार्यालय द्वारा प्रयोग किया जाएगा और सेवा परदाता द्वारा किसी और कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा .
6. यदि आवश्यकता हो तो, वाहन शनिवार, रविवार एवं अन्य छुट्टी के दिनों में भी प्रयोग में लाया जा सकता है .
7. किलोमीटर को कार्यभार बिंदु से कार्य मुक्ति बिंदु के बीच पढ़ा जाएगा ना कि गेराज से गेराज आधार पर . इसके लिए सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करे की ओडोमीटर उसी आधार पर सील कर दिया जाए . 6 के 3 पेज के आधार पर किसी भी शंका की अवस्था में यह कार्यालय ओडोमीटर की जांच किसी भी प्राधिकृत प्रयोगशाला में करा सकता है और उसके खर्चे का वहण सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा.
8. किसी भी परिस्थिति में एलपीजी सिलिंडर वाहन के अंदर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए .
9. सेवा प्रदाता द्वारा वाहन चालकों के नाम एवं पता उपलब्ध कराना आवश्यक होगा .सेवा में कार्यरत वाहन चालक के खिलाफ कोई प्रतिकूल पुलिस रिकॉर्ड / आपराधिक मामले दर्ज नहीं होने चाहिए . सेवा प्रदाता इस कार्यालय में वाहन चालकों को लगाने के पहले प्रत्येक वाहन चालाक के सम्बन्ध में जांच करे एवं सुनिश्चित करे की उसके सम्बन्ध में सभी ज़रूरी प्रमाणीकरण कर लिए गए हैं .
10. ड्यूटी पर वाहन चालकों से अपेक्षा की जायेगी की वे नम्र रहें एवं ज़रूरी शिष्टाचार का पालन करें . वे उचित यूनिफार्म पहनें एवं एक कार्यरत मोबाइल फ़ोन के धारक हों . यह कार्यालय उपर्युक्त मोबाइल फ़ोन के किसी भी करचे का वहां नहीं करेगा .
11. ड्यूटी पर ड्राईवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए .
12. ट्रैफिक चालान, नुक्स्सन, क्षति या किसी अन्य वाहन से टकराव और वाहन चालक या अन्य तीसरे पक्ष के व्यक्ति की चोट के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा . इस सम्बन्ध में किये गए कोई भी खर्च या विधिक व्यय का वहां सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा .
13. वाहन चालाक को दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी सड़कों एवं दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए वाहन चालक का आचार मोटर वाहन अधिनिया एवं नियम की अनुपालना में होना चाहिए .
14. वाहन चालक को वाहन के साथ उपलब्ध ड्यूटी पर उपलब्ध रहना आवश्यक होगा . किसी भी परिवर्तन की स्थिति में इस सम्बन्ध में उसे प्राधिकृत अधिकारी से आवश्यक अनुमति लेनी होगी .
15. वाहन चालक को न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए . इसका प्रमाणीकरण ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तिथि से किया जाए .

16. ड्यूटी के दौरान वाहन खराब हो जाने की स्थिति में सेवा प्रदाता अन्य अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराएगा. गेराज से गाडी खराब होने की जगह तक आने के लिए किये गए खर्च का वहां यह कार्यालय नहीं करेगा .
17. करार अवधि में वाहन चालक को न बदला जाए जब तक की कार्यालय इस विषय में कोई त्वरित अनुरोध न करे .
18. दैनिक आधार पर समय और किमी के इन्देराज लोगबूक रजिस्टर में किये जाने चाहिए . उक्त को सूचना हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यह भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने के पहले हो जाना चाहिए .
19. सभी परिस्थितियों में एसयूवी हेतु 2500 किमी के बिल एवं अन्य वाहन हेतु 2000 किमी के बिल ही प्रस्तुत किये जाने चाहिए . यदि कोई अतिरिक्त किमी का भुगतान रहता हो तो उससे अगले माह के बिल में प्रस्तुत किया जाये .
20. वाहन चालक के वेतन और अन्य सम्बंधित खर्च का वहन सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा . ऐसे ही, बीमा, रख रखाव एवं इंधन सम्बन्धी सभी व्यय का वहन भी सेवा प्रदाता द्वारा ही किया जाएगा .
21. यदि, वाहन चालक ड्यूटी पर नहीं आता है, देरी से आता है या इस निविदा की किसी भी नियम एवं शर्त का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में, यथानुपात उक्त राशि मासिक बिल राशि में से काट ली जायेगी. ऐसा होने पर, सेवा प्रदाता रु 1500 /- प्रतिदिन की शास्ति का देय होगा .
22. यदि वाहन बताये गए समय एवं स्थान पर नहीं पहुँचता है, तो करार रु 1500/- प्रतिदिन की शास्ति सहित निलंबित करने के लिए योग्य पाया जाएगा .
23. पूर्ण करार अवधि में, सेवा प्रदाता को टेंडर की नियम एवं शर्तों के अनुसार ही वाहन की मेक / मॉडल के अनुसार ही वाहन उपलब्ध कराना होगा . सिर्फ अत्यंत ही विशेष परिस्थितियों में यह कार्यालय अस्थायी आधार पर ऐसे शर्तों में कोई छूट दे सकता है .
24. यदि सेवा प्रदाता उपलब्ध करायी गयी सेवाओं की गुणवत्ता में कमी पायी जाती है, इस कार्यालय के पास यह अधिकार होगा की वे इस करार को 15 दिन की सूचना देकर निलंबित कर दें .
25. किसी भी मामले में कोई विवाद होने पर, इस कार्यालय का निर्णय सेवा प्रदाता के लिए अंतिम एवं मान्य होगा .
26. करार किसी भी पार्टी द्वारा 15 दिन की सूचना देकर रद्द किया जा सकता है
27. सेवा प्रदाता का इस कार्यालय में अनुबंध इस कार्यालय में किये जाने से सेवा प्रदाता को या उसके द्वारा लगाये गए वाहन चालक को इस कार्यालय में या अन्य किसी भी सरकारी कार्यालय में नियमित रोज़गार का दावा करने का अधिकार नहीं देता है .
28. समिति वाहन की दुरुस्ती एवं आरसी बुक का सत्यापन करेगी (नियमानुसार). यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो , वित्तीय बिड खुलने के बाद भी करार को निलंबित किया जा सकता है .
29. कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22.02.2018 है (17.00 बजे)
30. तकनीकी बिड दिनांक26.02.2018 को 11.30 बजे केन्द्रीय कर, दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय, तीसरी मंजिल, अन्नेक्सी भवन, ईआईएल बिल्डिंग, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में इस हेतु नियत समिति के समक्ष खोली जायेगी . जो भी चाहे, इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है .
31. विक्रेता सरकार की ओड - इवन नीति के दौरान अन्य अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराना होगा.
32. आयुक्त के पास यह अधिकार होगा की वे बिड को बिना कारण बताये रद्द कर दें .

29/01/18

सहायक आयुक्त (मुख्यालय)
केन्द्रीय कर, दिल्ली दक्षिण

फासं जीएसटी/ दक्षिण / मुख्यालय / हायरिंग व्हीकल / 01/2017 दिनांक 01.2018

प्रतिलिपि अग्रेषित

1. केन्द्रीय कर, दिल्ली दक्षिण, तीसरी मंजिल एनेक्सी भवन, ईआइएल बिल्डिंग, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 का नोटिस बोर्ड
2. वेबमास्टर, प्रणाली महानिदेशालय, को इस अनुरोध के साथ की वे इसे सीबीईईसी की वेबसाइट पर अपलोड करें .

परिशिष्ट क

तकनीकी बिड (विशेषक बिड कागज़ात)

निविदा कारक का नाम पता एवं दूरभाष संख्या

प्रदाता / साझेदार / निदेशकों का नाम एवं पता

तकनीकी बिड हेतु विशेषक मानदंड

1. हम ही वाहन के वास्तविक स्वामी हैं — हां / नहीं
2. वाहन व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत है — हाँ / नहीं
3. हमने निविदा में बताई गए वाहन की आरसी बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की है — हाँ / नहीं
4. हमारे पास वैध जीएसटी पंजीकरण है — हाँ / नहीं
5. हमने जीएसटीएन की पंजीकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की है — हाँ / नहीं
6. हमारे पास वैध पैन है — हाँ / नहीं
7. हमने पैन की प्रमाणित प्रति संलग्न की है — हाँ / नहीं

अतिरिक्त मूल्यांकन मानदंड

1. हमारे स्वामित्व में पंजीकृत व्यावसायिक वाहन की कुल संख्या
   (कृपया दायीं ओर संख्या लिखें)
2. विभाग को दी जाने वाली गाडी का पंजीकरण संख्या, निर्माण वर्ष, मॉडल एवं प्रकार

---

3. वर्ष 2016-17 में हमने वाहन एक साल से अधिक उपलब्ध कराया

   केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू — हाँ / नहीं

4. हमारे पास केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू को वाहन उपलब्ध कराने का माँगा गया अनुब हव है 3-5 साल का अनुभव — हाँ / नहीं

   यदि उपर्युक्त 3 एवं 4 का उत्तर हाँ है तो ऐसे कार्यालय का नाम एवं पता उपलब्ध कराएँ
   मैंने / हमने निविदा सूचना के सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है एवं हम इससे सहमत हैं .

घोषणा

1. मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... उपर्युक्त उल्लिखित कंपनी / फर्म का स्वामी / निदेशक / प्राधिकृत हस्ताक्षरी हूँ एवं इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने हेतु एवं निविदा कागजात को निष्पादित करने के लिए सक्षम हूँ .
2. मैंने निविदा की सभी नियम एवं शार्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उनकी अनुपालना की घोषणा करता हूँ .
3. मेरी जानकारी एवं विचार के अनुसार उपर्युक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत सूचना / कागज़ात सही एवं विश्वसनीय हैं . मुझे / हमें पूरी जानकारी है की गलत / भ्रामक सूचना या नकली कागज़ात प्रस्तुत करने से निविदा को किसी भी चरण पर रद्द किया जा सकता है .

दिनांक

स्थान

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर दिनांक एवं मोहर सहित)

परिशिष्ट ख

वित्तीय बिड कागज़ात

1. पार्टी का नाम
2. पता (दूरभाष संख्या एवं फैक्स संख्या)
3. स्वामी / साझेदार / निदेशक का नाम एवं पता (मोबाइल नंबर सहित)
4. वाहन विवरण

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	2500 किमी प्रति माह एवं 2000 किमी प्रति माह तक

5. यदि कोई और खर्चे हो तो, आगे लिखें

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	दर	
		2500 किमी के एवं 2000 किमी के बाद प्रति किमी दर	प्रति घंटा दर

पूर्ण योग

जीएसटी मिलाएं

कुल

मैंने / हमने निविदा सूचना के सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है एवं हम इससे सहमत हैं .

घोषणा

मेरी जानकारी एवं विचार के अनुसार उपर्युक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत सूचना / कागज़ात सही एवं विश्वसनीय हैं . मुझे / हमें पूरी जानकारी है की गलत / भ्रामक सूचना या नकली कागज़ात प्रस्तुत करने से निविदा को किसी भी चरण पर रद्द किया जा सकता है .

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर दिनांक एवं मोहर सहित)